

(524)

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक:प.10(147)/नविदि/3/2008/पार्ट-3/

जयपुर, दिनांक: 16-8-17

आदेश

राज्य के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाईल टॉवर आदि टेलीग्राफ, संरचनाओं को लगाने की अनुमति के संबंध में इस विभाग के द्वारा जारी समसंख्यक आदेश दिनांक 09.02.17 को प्रत्याहारित करते हुए आदेश दिनांक 05.02.17 के खण्ड 3 के बिन्दु संख्या (iii) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:-

"(iii) The licensee shall be permitted to erect/install telegraph infrastructure on open land including private/ khatedari lands, lands and buildings of Government or Government owned/ controlled Statutory or Non-statutory institutions/bodies or at other public/private locations.

Provided that in view of decision of the Hon'ble High Court in D.B.PIL Petition No. 2774/2012 decided on 27-11-2012 (which is subject to outcome of appeals pending before the Hon'ble Supreme Court) mobile towers will not be installed within the premises of schools/colleges, hospitals, sports/play grounds, within 500 meters radius of Jail campus and within distance of 100 meters from notified archeological and heritage properties/sites."

अतः तदनुसार कार्यवाही की जावे।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)

संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि निम्न को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

01. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
02. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
03. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय नगरीय विकास विभाग जयपुर।
04. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्व विभाग, जयपुर।
05. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, पंचायतीराज विभाग, जयपुर।
06. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
07. संभागीय आयुक्त, समस्त।
08. जिला कलक्टर, जयपुर/जोधपुर/कोटा/उदयपुर/बीकानेर।
09. पुलिस आयुक्त, जयपुर/जोधपुर।
10. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग (रोड) राजस्थान जयपुर।
11. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान जयपुर।
12. सचिव, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
13. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि अधीनस्थ स्थानीय निकायों को निर्देशित कराने हेतु।
14. सचिव, नगर विकास न्यास, समस्त।
15. मैसर्स इण्डस टॉवर लि. जी-34, तृतीय मंजिल, सुभाष मार्ग, जी-बिजनेस पार्क, सी-स्कीम, जयपुर।
16. वरिष्ठ शासन उप सचिव, नगरीय विकास विभाग को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
17. शक्ति पत्रावली।

(अशोक कुमार सिंह)

वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी

(357)